



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

Summons

फा. सं.: NCST/DEV-1406/UK/2/2023-ESDW

श्री उदय राज सिंह,
जिला मजिस्ट्रेट,
ऊधम सिंह नगर
कलेक्टोरेट ऊधम सिंह नगर,
उत्तराखंड- 263153
ई-मेल- dm-usn-ua@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामले का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री निरूपम चाकमा के समक्ष दिनांक 04.09.2024 को 11:30 बजे, आयोग मुख्यालय, न्यायालय कक्ष, 6वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामले का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद- ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड के द्वारा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र की विकास योजनाओं को अनुमोदित न करने और क्षेत्र की जनजातीय जनसंख्या का उत्पीड़न किए जाने के सम्बन्ध में सुश्री सुमन सिंह, पुत्री श्री श्याम सिंह, (जिला पंचायत सदस्य), ग्राम- खेमपुर, विकास खंड व तहसील-गदरपुर, जिला- उधम सिंह नगर, उत्तराखंड का दिनांक 15.02.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 2: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 21.03.2023.

संदर्भ 3: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 20.06.2023.

संदर्भ 4: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 23.07.2024.

संदर्भ 5: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2024.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 22, अगस्त, 2024 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।



मोहर

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003